

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.


क्रमांक :- दुरुस्ती/21/181

दिनांक 3-2-2022

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पुत्री मू. अमिलेख निरीक्षक शुभरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार भादरा/नायब तहसीलदार गारु की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम किरारी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2073-76 में खाता संख्या 125/142 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र. स.	ग्राम/चक	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	किरारी	125/142	गुड़ी पुत्री	सिद्धमा पुत्री
2	घोटडा पट्टा	18/7-3	सुरता	पुता



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

क्रमांक:- सम/21/181

दिनांक: 3-2-2022

प्रतिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एवं बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी/प्रार्थिया को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़